6029
27/10/2023

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–176/03, गृह जिला–देवघर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा, सहरसा के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधड़ी पूर्वक जाली कागजात तैयार कर राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता बरतने तथा अपने पद का दुरूपयोग कर अभिकर्त्ता को नाजायज आर्थिक लाभ पहुँचाने के आरोप में श्री सिंह एवं अन्य विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–48/92, धारा 420/468/469/477(ए)/120(बी)/109 भा0द0वि0 एवं धारा 5(2) पठित धारा 5(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 परिवर्तित धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज की गयी।

2. उक्त (निगरानी थाना कांड सं0–48/92) कांड में विधि (न्याय) विभाग, बिहार के आदेश सं0–1839/जे0, दिनांक–28.05.2002 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी एवं माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), पटना के न्यायालय में आरोप पत्र सं0–05/2002, दिनांक 06.07.2002 समर्पित किया गया।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–751, दिनांक–27.08.2014 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–48/92 में माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना द्वारा दिनांक–30.03.2013 को परित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई, जिसका operative part निम्नवत् है:–

"Considering the above facts and circumstances of the case and submissions made on behalf of the parties, convicts namely 1. Chandra Shekhar Singh, 2. Umesh Prasad Singh, 3. Uma Shankar Yadav, 4. Manohar Prasad Gupta and 5. Bageshwari Prasad Singh each of the convicts are hereby sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of one (1) year under section 120-B I.P.C.. They are hereby further sentenced to undergo for a period of two (2) years Rigorous Imprisonment U/S 420/34 I.P.C.. They are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 468 I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 3 (three) years U/S 477-A I.P.C.. They all are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of (two) 2 years and a fine of Rs. 1000/- (Rs. One thousand) each only U/S 201 I.P.C. and in default of payment of fine three (3) months Rigorous Imprisonment. They are hereby further sentenced to undergo Rigorous Imprisonment for a period of 2 (two) years U/S 5(2) of Prevention of Corruption Act, 1947 corresponding to Section 13(2) of Prevention of Corruption Act, 1988. All the sentences shall run concurrently. The period already

undergone as under trial prisoners shall be set off from the period of sentences passed today under the provision of Section 428 Cr. P.C."

4. निगरानी थाना कांड सं0–48/92 में माननीय विशेष न्यायाधीश निगरानी, पटना के न्यायालय द्वारा श्री सिंह को दण्डित किये जाने के कारण इनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के अंतर्गत उनकी समूची पेंशन पर रोक के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक–5927, दिनांक 24.07.2019 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्र, दिनांक 06.09.2019 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0–8874, दिनांक 06.11.2019 द्वारा उनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के अंतर्गत उनकी समूची पेंशन पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0–W.P.(S) No. 7281/2019 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पारित न्यायादेश में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–8874, दिनांक 06.11.2019 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के तहत् अधिरोपित आजीवन पेंशन के रोक के दण्ड को रद्द कर दिया गया। आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है–

"In the case in hand, it is evident that the impugned resolution, withholding the entire pension of the petitioner, has been issued invoking the power under rule 43(a) of the Rules, 2000 on the ground of passing of the judgment of conviction and order of sentence in Vigilance P.S. Case No. 48 of 1992 which has instituted during the service period of the petitioner and, therefore, the same will be treated as his past conduct and not future conduct while receiving pension.

In view of the aforesaid discussions, the impugned resolution as contained in memo no. 8874 dated 6th November, 2019 (Annexure-6) issued under the signature of the respondent no. 2 by the order of the Hon'ble Governor, Jharkhand cannot be sustained in laws and the same is hereby quashed.

The respondent- State is, however, at liberty to take appropriate recourse against the petitioner, if the same is permissible under law.

The writ petition is accordingly allowed."

7. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत् पुनः नये सीरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के बिन्दु पर विधि विभाग, झारखण्ड के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया है।

8. अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2023 को पारित न्यायादेश एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–8874, दिनांक 06.11.2019 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के तहत् अधिरोपित आजीवन पेंशन रोकने से संबंधित दण्डादेश को रद्द किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25/10/23

(संजीत कुमार लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 / आरोप–1–139 / 2014 का०– 6029 / राँची, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि– जोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय सचिव कोषांग / संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4 / उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार / विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 / विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–5 / श्री चन्द्रशेखर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, पिता–स्व0 रंजीत सिंह, पता–"शाम्भवी" कोर्ट रोड, पाल बगान, जामताड़ा– 815351 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10/23

सरकार के संयुक्त सचिव।